किशोरियों को भगाने के दोषी को तीन वर्ष कैद

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : दो चचेरी नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मामले में विचारण के दौरान ही एक आरोपित की मौत हो गई, जबकि चार अन्य आरोपितों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया की सोनवा क्षेत्र में 18 मार्च 2009 की रात करीब 11 बजे वादी मुकदमा व उसके भाई की नाबालिग पुत्री को सिरसिया क्षेत्र के शाहपुर पूरे शिवदीन निवासी मुन्ना उर्फ भूरे उर्फ अशफाक बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। इस मामले में पिता की तहरीर पर मुन्ना उर्फ भूरे उर्फ अशफाक, राम उजागर यादव व नासिरगंज निवासी दानिश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा। विचारण के दौरान आरोपित के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय ने तीन अन्य आरोपितों सेवानिवृत्त लेखपाल दिनेश कुमार मिश्रा, शिवप्रसाद व बबलू को तलब किया। इस दौरान शिव प्रसाद की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) करुणा सिंह ने दोषी मुन्ना उर्फ भूरे उर्फ अशफाक को तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया। अन्य चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चरस तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जासं, श्रावस्ती : चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक द्विजेंद्र मिश्रा ने बताया कि 24 जून 2010 को लोखड़ियापुरवा गांव निवासी पुत्तन को पुलिस ने खनपुरवा गांव के पास से रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से थैले से पुलिस ने एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद किया था। इस मामले में आरोपित के विरुद्ध भिनगा कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो अधिनियम) सुदामा प्रसाद ने आरोपित पुत्तन को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

अदालतः मुकदमों के फैसलों में आई तेजी, अपराधी सहमे

आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी असरदार साबित हुई

संदेश वाहक न्यूज

श्रावस्ती। न्यायालयों में लम्बित मुकदमों में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी करवाकर अभियुक्तों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रभावी पैरवी से न्यायालय को अपराधियों को सजा देने में काफी मदद मिलती है।

- **चरस तस्कर को दस साल की सजा एक लाख जुर्माना**
- **मुकदमें में सुलह करने को लेकर मारपीट करने व बालिका से रेप के आरोपियों को भी मिली सजा**

जिससे 21 एवं 22 अगस्त को महत्वपूर्ण मुकदमों में अलग-अलग न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए तीन मुकदमों के अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इस क्रम में 21 अगस्त को न्यायालय एएसजे/ एफटीसी/ सीएडबल्यू श्रावस्ती ने मार्च 2009 में सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव से

बहला फुसलाकर लड़की को भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुन्ना उर्फ भूरे पुत्र जाहिद अली उर्फ आंधी निवासी शाहपुर पूरे शिवदीन थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं गिलौला थाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत मनिकापुर के मजरा गुजरन पुरवा में नवम्बर 2020 में पुराने मुकदमें में समझौते की बात को लेकर गाली गलौज व मारपीट के मामले की 21 अगस्त को सुनवाई करते हुए ग्राम न्यायालय इकौना ने सहाबुद्दीन पुत्र चांद अली, ननकऊ पुत्र चांद अली व गौरैया पत्नी ननकऊ को दोषी करार देकर तीन माह का कारावास तथा तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

वहीं थाना कोतवाली भिनगा में 2010 में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एएसजे स्पेशल न्यायालय ने 22 अगस्त को सुनवाई करते हुए अभियुक्त पुत्तन पुत्र श्रीशंकर गद्दी निवासी लोखड़ियन पुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को दोषसिद्ध करार देते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पिछले कुछ दिनों से फटाफट आ रहे न्यायालय के फैसलों से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।